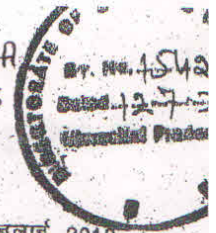


हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

Annexure-A

अनुबन्ध-क



संख्या SJ&E-F(5)-4/2006

दिनांक: 5 जुलाई, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "बालिका समृद्धि योजना" के स्थान पर "बेटों है अनमोल योजना" परिशिष्ट "क" पर दर्शाये गये उद्देश्य, नियम, दिशा निर्देश व शर्तों के आधार पर सर्वेष स्वीकृति प्रदान करती है।

यह दिशा निर्देश उक्त अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: SJ&E-F(5)-4/2006 दिनांक शिमला-2 5 जुलाई, 2010

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजी सचिव मुख्य मन्त्री हि0प्र0।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री हि0प्र0।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र., शिमला.5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु।
7. निर्देशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला.9। उनसे अनुरोध है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से राजपत्र की पाँच प्रतियाँ प्राप्त करने की कृपा करें।
8. अनुभाग अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुभाग-ख।
9. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियाँ।

अवर सचिव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार

बेटी है अमोल

योजना की विशेषता:-

बेटी है अमोल योजना पूर्णतः प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अपने संसाधनों से पोषित गरीबों की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियाँ को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। यह योजना एतद्वारे जारी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। योजना के उद्देश्य, नियम, दिशा निर्देश व शर्तों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. योजना का उद्देश्य:

- परिवार तथा समुदाय में बेटी के जन्म पर बेटी एवं माता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव लाना।
- बेटी के बाल विवाह पर रोक।
- बेटी के स्कूल में दाखिले एवं शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहन।
- लड़कियों को आयु जननशील कियाकलाप अपनाने हेतु सहायता।
- लड़कियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।

2. योजना की व्याप्ति (कार्यक्षेत्र):

बेटी है अमोल योजना प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी।

3. लक्षित समूह:

बेटी है अमोल योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियाँ को लाभान्वित किया जाना है।

4. योजना का प्रारूप:

बेटी है अमोल योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हों ऐसे परिवारों में योजना के लागू होने के पश्चात जन्मी केवल दो बेटियों को लाभान्वित किया जायेगा। अमोल बेटी योजना के अन्तर्गत लाभ/सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को कमांक 5 पर दी गई शर्त पूर्ण करनी होगी।

5. लाभ प्राप्त करने हेतु शर्त:-

- पात्र बेटी का परिवार हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
- प्रार्थी का परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में चिन्हित होना चाहिए।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले लाभान्वित बेटी का विवाह नहीं होना चाहिए।

Pledge) करवाया जाएगा। बेटी के अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इस खाते की पूरी राशि ब्याज सहित बालिका को अदा की जाएगी। लेकिन यदि बालिका की

अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही शादी हो जाती है तो उसके खाते की राशि स्वतः सरकार को प्राप्त हुई राशि समझी जाएगी। सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी ऐसे बैंक खातों में जमा करवाई गई राशि को ब्याज सहित आहरित करेगा/करेगी तथा इस राशि का प्रयोग अन्य पात्र बालिका को लाभान्वित करने हेतु किया जाएगा।

iii) बालिका की मृत्यु होने पर उसके नाम पर खोले गए खाते की राशि भी स्वतः सरकार को प्राप्त हुई राशि समझी जाएगी।

iv) छात्रवृत्ति हेतु प्रोत्साहन राशि पात्र बालिका को उसके अभिभावकों के लिखित अनुरोध के अनुसार नकद भी दी जा सकेगी तथा यदि वे चाहें तो यह राशि भी उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।

8. छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया:

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु बालिका के पाठशाला में दाखिल होने के बाद बालिका के अभिभावक सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें सम्बन्धित पाठशाला के मुख्याध्यापक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि कुमारी..... पुत्री श्रीमती/श्री..... निवासी..... को इस पाठशाला..... (पाठशाला का नाम/पता) में कक्षा..... में दिनांक..... को प्रवेश दिया गया तथा यह बालिका इस कक्षा में पहले अनुदीर्ण नहीं हुई है। छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र (अनुबन्ध 'ख') पर संलग्न है।

9. स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी

सम्बन्धित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत पात्र बालिका के पक्ष में योजना के प्रावधानानुसार पोस्ट वर्थ ग्रान्ट तथा छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु सक्षम होगा।

10. इस योजना के लागू होने के पश्चात, पूर्व में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित की जा रही बालिकाएं जो केवल 10 वीं कक्षा तक ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं वे भी "बेटी है अनमोल" योजना के अन्तर्गत कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं में नई दर से मु० 1500/- रु० वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगी।

11. 'बेटी है अनमोल' योजना के लागू होने के पश्चात पूर्व में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत कोई भी नई स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रपत्र

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
बाल विकास परियोजना—
जिला — हि० प्र०

महोदय/महोदया,

निवेदन है कि मेरे परिवार में दिनांक — को पहली/दूसरी बालिका का जन्म हुआ है। मैं हि० प्र० का स्थाई निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती — है। मेरा परिवार गरीबी रेखा में चिह्नित परिवारों की सूची में है तथा इसका BPI NO. — है। अतः निवेदन है कि मेरी बेटी को हि० प्र० सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लाभ प्रदान करें।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

- a) बेटी के पिता / माता का नाम
- b) बेटी का नाम
- c) बेटी के जन्म की तिथि
- d) परिवार में बेटी की संख्या/क्रम (पहला /दूसरा)

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदक द्वारा दर्शाए गये तथ्य सही हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती..... BPI के अन्तर्गत चयनित है तथा सूची में क्र. स० — पर प्रदर्शित है।

BPI NO — है।

3. इनके परिवार में दिनांक — को पहली /दूसरी/ बेटी पैदा हुई है। परिवार रजिस्टर में बेटी का नाम — तथा बेटी के माता/ पिता का नाम — है।

हरतक्षर

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत—
विकास खण्ड—
तहसील—
जिला—

अनुबन्ध 'ख'

छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी का स्वीकृति बारे प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी सारे तथ्यों से सन्तुष्ट होने के उपरान्त कुमारी _____ पुत्री श्रीमती/ श्री _____ निवासी _____ के पास में मु० _____ ऊ० की छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता / करती है। यह राशि कुमारी _____ के नाम में बैंक / डाकघर _____ में जमा करवाई जाएगी / कुमारी को नकद अदा की जाएगी। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कुमारी _____ को कक्षा _____ में प्रवेश के समय यह राशि पहले अदा / स्वीकृत नहीं की गई है। इसका पूर्ण अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है तथा एतद सम्बन्धि सभी लेखर कार्यालय में जांच हेतु सुरक्षित है।

(मुहर तथा हस्ताक्षर)
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
बाल विकास परियोजना _____
जिला _____

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्या: Kalyan-Cha(4)-2/90-IV

18

दिनांक: 02जून, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "बेटी है अनमोल योजना" के अर्न्तगत जारी अधिसूचना सम संख्या दिनांक 05.07.2010 के परिशिष्ट "क" की मद संख्या 6(1) में आंशिक संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत जमा करवाई जाने वाली राशि मु० 5100/-₹ से बढ़ाकर, ₹ 10,000/- करने की स्वीकृति प्रदान करती हैं। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सरोज कुमार दास

अतिरिक्त मुख्य सचिव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या : Kalyan-Cha(4)-2/90-IV

दिनांक: शिमला-02

02जून, 2012

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजि सचिव मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजि सचिव, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, हि० प्र०।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विभाग हि० प्र० शिमला 5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु।
7. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला 9।
8. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हि० प्र० सरकार शिमला-02
9. संरक्षण नस्ति/ अतिरिक्त प्रतियां।

Ucrar

उप सचिव (सा० न्याय एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्या: एस0जे0ई0-एफ-(5)-4/2006-1

दिनांक: 25 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश “बेटी है अनमोल योजना” के अर्न्तगत जारी अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 05.07.2010 तथा दिनांक 23.07.2015 के क्रम को जारी रखते हुए इस योजना के परिशिष्ट ‘क’ की मद संख्या 6(ii) में आंशिक संशोधन करते हुए इस योजना के तहत पात्र बेटी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली विद्यालय स्तर की छात्रवृत्ति को स्नातक स्तर तक अनुबन्ध “क” के अनुसार बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

आदेश द्वारा

आर0डी0 धीमान
प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त

दिनांक: शिमला-02

25 सितम्बर, 2017

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार।
9. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां।

छवि नान्टा

(छवि नान्टा)

उप सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Director
A.D/20-11
SR-26-9-2017
to be
circulated
to all
DPOs.
86

8 215-216
P-193,194

अनुबन्ध "क"

क्रमांक	कक्षा	छात्रवृत्ति की दरें (रुपये प्रति वर्ष)
1.	प्रथम से तृतीय	450/-
2.	चतुर्थ	750/-
3.	पांचवीं	900/-
4.	छठी एवं सातवीं	1050/-
5.	आठवीं	1200/-
6.	नौवीं एवं दसवीं	1500/-
7.	ग्यारहवीं एवं बारहवीं	2250/-
8.	कला स्नातक (B.A), वाणिज्य स्नातक (B.Com), विज्ञान स्नातक (B.Sc) इत्यादि।	5000/- (उक्त छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तर की प्रथम से अंतिम वर्ष की कक्षाओं में दी जाएगी। यदि पात्र लड़की स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष की किसी कक्षा में अनुवर्ती रहती है, तो उसी कक्षा के लिए उसे दूसरी बार उक्त छात्रवृत्ति की दर प्रदान नहीं की जायेगी)
9.	इंजीनियर स्नातक (B.E), प्रौद्योगिकी स्नातक (B.Tech.), आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक (MBBS), विधि स्नातक (LLB), शिक्षा स्नातक (B.Ed) इत्यादि।	5000/- (उक्त छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तर की प्रथम से अंतिम वर्ष की कक्षाओं में दी जाएगी। यदि पात्र लड़की स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष की किसी कक्षा में अनुवर्ती रहती है, तो उसी कक्षा के लिए उसे दूसरी बार उक्त छात्रवृत्ति की दर प्रदान नहीं की जायेगी)

छवि नान्टा

(छवि नान्टा)

उप सचिव (साठ न्याय एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार

— 149 —

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्या: एस0जे0ई0-एफ-(5)-4/2006-1

दिनांक: 19 मई, 2018

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण-छ-4-2/90-IV दिनांक 02.06.2012 के कम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से “बेटी है अनमोल योजना” के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0-एफ-(5)-4/2006 दिनांक 05-07-2010 के परिशिष्ट-क, की मद संख्या 6 (1) में अंशिक संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत जमा करवाई जाने वाली राशि मु0 10,000/रु0 (दस हजार) से बढ़ाकर मु0 12,000/- (बारह हजार) करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

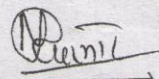
2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र संख्या फिन (सी) बी (15)-3/2016 लूज दिनांक 17.5.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।
3. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगी।

आदेश द्वारा
हस्ता/-

(निशा सिंह)
अति0 मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार
19 मई, 2018

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त दिनांक: शिमला-02

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजि सचिव मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजि सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश।
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हि0 प्र0।
9. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश।
10. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां।


(टी0 आर0 परमार)
अवर सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार